IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में झुग्गी - झोपड़ी का बढ़ता मकड़जाल

डॉ स्वपना मीना

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग

काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी

शोध - सार - मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी ,कपड़ा और मकान उसकी प्राथमिक आवश्यकता है | व्यक्ति रोटी तलाश में शहर में आता है जहाँ उसे रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है लेकिन उसे उसे रहने के लिए मकान बड़ी मुश्किल से मिल पता है | रहने का स्थान न मिल पाने के कारण वह अस्थायी रूप से सड़क के किनारे रहना प्रारम्भ कर देता है , इसी से ही धीरे - धीरे बड़े - बड़े झुग्गी का निर्माण हो जाता है जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है | सरकार द्वारा लायी गयी तमाम नीतियों के बाद भी इसमें रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है | इस शोध पत्र झुग्गी की लगातार बढ़ती हुयी संख्या और सरकार की नीतियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे |

बीज - शब्द - झुग्गी -झोपड़ी, औद्योगीकरण, सरकार की नीतियां |

प्रस्तावना - मानव समाज के विकास यात्रा में औद्योगीकरण के कारण व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है | इस प्रक्रिया ने मानव जीवन के सभी पक्षों को कमोबेश प्रभावित किया है | औद्योगीकरण की प्रक्रिया जहाँ यूरोप में हुये वैज्ञानिक क्रांति के कारण विकसित हुयी और धीरे - धीरे सम्पूर्ण विश्व में अपने पांव पसारने लगा वहाँ भारत भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा | औद्योगीकरण की प्रक्रिया अपने साथ - साथ नगरीकरण की प्रक्रिया को साथ लायी जो मानव के रहन - सहन में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया |

औद्योगीकरण के कारण बड़े - बड़े पैमाने पर कल - कारखानों की स्थापना की गयी | इन कारखानों में काम करने के लिये बड़े पैमाने पर श्रम शक्ति की आवश्यकता थी | कल - कारखाने अक्सर गावों से दूर स्थापित किये जाते थे | गावों के लोग बेहतर और निश्चित जीवन की तलाश में इन कारखानों के ओर धीरे - धीरे आकर्षित होने लगे | गांव के लोग के लिये कृषि धीरे - धीरे घाटे का व्यवसाय होने लगा था | अत्याधिक श्रम करने पर भी उन्हें कम लाभ ही मिलता था क्योंकि ग्रामीण समाज का एक बड़ा भाग परंपरागत रूप से कृषि को करता था और मौसम पर उसकी निर्भरता थी |

कारखाने में काम करने वाले श्रमिक धीरे - धीरे इन कारखानों के आस- पास अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे | पहले तो यह स्वयं ही इन झुग्गी झोपड़ी में रहते थे | परन्तु समय के साथ - साथ यह धीरे - धीरे अपने साथ गांव से परिवार को लेकर उनके साथ इन झुग्गी - झोपड़ी में रहने लगे | जिससे इन झुग्गी - झोपड़ी पर जनसंख्या का दबाब बढ़ता गया | बढ़ती हुयी जनसंख्या दबाब के कारण इनका स्वरूप और भी विकृत होता गया | व्यक्ति को अपने मूलभुत आवश्यकतों जैसे - साफ पानी, स्वच्छ हवा , सूर्य का पर्याप्त प्रकाश तक के लिये संघर्ष करना पड़ता है | समय

के साथ -साथ इन स्थानों पर जनसंख्या का दबाब और बढ़ता ही गया है | आय के आसमान वितरण के कारण ही इन स्थानों पर रहने वाला परिवार कई पीढ़ियों से गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुये रहते है और इन्हीं स्थानों पर अपना दम तोड़ देते है | इन्हीं स्थानों पर कुछ ऐसे परिवार भी होते है जो इस दुष्चक्र से निकले के लिये गैरकानूनी रास्तों का सहारा लेते है | जिसके कारण इन स्थानों पर कई गैरकानूनी कार्यों का भी संपादन किया जाता है |

झुग्गी - झोपड़ी : एक अवधारणात्मक अध्ययन - भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय एवं भाषाई विविधता होने के कारण इन झुग्गी झोपड़ी को अलग - अलग प्रकार के नाम से पुकारा जाता है | मुंबई में इसे चाल अथवा झोपड़पट्टी , दिल्ली में कटरा या झुग्गी - झोपड़ी ,कोलकाता में बस्ती , चेन्नई में चेरी , कानपुर में अहाते , जयपुर में कच्ची बस्ती , भोपाल , इंदौर में गन्दी बस्ती , चाय उद्यानों में बैरेक और खनन क्षेत्रों में घोबरा के नाम से जाना जाता है |

२००८ में केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने डॉ. प्रणब सेन की अध्यकक्षता में झुग्गी - झोपड़ी की गणना पर एक समिति का गठन किया | इस समिति ने अगस्त २०१० में अपनी एक रिपोर्ट पेश की | इस समिति ने स्लम (झुग्गी - झोपड़ी) को इस प्रकार परिभाषित किया है - अत्यंत ख़राब स्थिति में निर्मित, अधिकतर अस्थाई प्रकृति के, भीड़-भाड़ वाले सामान्यत, अपर्याप्त स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं के साथ अस्वास्थ्यकर स्थितियों में कम से कम २० आवासों की संयुक्त बस्ती |

भारत में झुग्गी - झोपड़ी का मकड़जाल - इन झुग्गी - झोपड़ी की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है | इन स्थानों में रहने वाले लोगों की संख्या पिछले दशक की अपेक्षा दुगना हो गया है | भारत सरकार के सर्वे २०११ के अनुसार मुंबई , कोलकाता चेन्नई और दिल्ली में शहरी आबादी क्रमशः ४१%,२९%,२८% और १५% झुग्गी बस्ती में ही रहती है | इन झुग्गी - झोपड़ी में औसतन ५ लोग एक कमरे में अपना गुजारा करते है | दिल्ली सरकार के आंकड़े के अनुसार सात सौ एकड़ में झुग्गी बस्तियाँ है और इन बस्तियों में १० लाख लोग रहते है | भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी की संख्या मुंबई में है | जो लोग इन झुग्गी - झोपड़ी में रह रहे है , उनकी संख्या २००१ में ५२ मिलियन से बढ़कर २०११ में ६५.५ मिलियन हो गयी है |

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के ६९ वे दौर में पाया गया की देश में ३३,५१० झुग्गी - झोपड़ी बस्तियां थी , जिनमें से १३,७६१ को अधिसूचित किया गया है | इनमें से १९७४९ गैर अधिसूचित थी | जनगणना २०११ के विवरण के अनुसार १३.९२ मिलियन झुग्गी - झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या ६५.४९ मिलियन थी | समूचे देश की करीब ५.४ प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं बस्तियों में रहती है | भारत के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में १७.४ प्रतिशत जनसंख्या भी इन्हीं झुग्गी - झोपड़ी में निवास करती है | मणिपुर ,दादरा और नगर हवेली दमन और दीव ,लक्षद्वीप को छोड़कर भारत के शेष सभी राज्यों में झुग्गी - झोपड़ी थी |तमिलनाडु में सबसे अधिक ५०६ कस्बे है जो की स्लम से सम्बंधित है | वही पर त्रिपुरा में १५ तो नागालैंड में ११ कस्बे झुग्गी से सम्बंधित है|

राष्ट्रिय योजनाओं का विकास - भारत सरकार भी देश में बढ़ती हुयी झुग्गी - झोपड़ी की संख्या को एक चिंता का विषय माना है और समय - समय पर विभिन्न योजनों के माध्यम से इसे कम करने का प्रयास किया है |

राष्ट्रिय स्लम विकास कार्यक्रम - इस योजना के प्रारम्भ में १९९६ में पुरे भारत में ४७,१२४ मलिन बस्तियों को उन्नत करने के उद्देश्य से की गयी थी | इस योजना में प्रत्येक शहर में एक लक्षित स्लम की पहचान की जिसे उसने एक मॉडल स्लम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई |

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं - (बी.एस.यू.पी.)- इस योजना का प्रारम्भ २००९ में किया गया था | यह योजना जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन नामक एक बड़ी योजना के एक उप घटक के रूप शुरू किया गया था | यह शहरी भारत के लिए बड़े पैमाने पर शहर के नवीनीकरण का कार्यक्रम था | यह योजन केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त योजना थी |इस योजना में ५० प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा , ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा और १० प्रतिशत लाभार्थी द्वारा दिया जाता था |

वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना - वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (बाम्बे) की शुरुआत दिसंबर २००१ में की गयी थी | इस योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराना है जिसके पास आवास ना हो या आवास जीर्ण - शीर्ण अवस्था में हो | नगरीय क्षेत्रों के मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले या काम आय वाले परिवार इस योजना के लाभार्थी होंगे | इनके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दिया गया | चयन में ऐसे परिवार को प्राथमिकता दी गयी जिनकी मुखिया महिला थी | जिन परिवार के पास आवास निर्माण हेतु भूमि नहीं थी उनको सरकार द्वारा निशुल्क भूमि प्रदान किया गया |

उपर्युक्त योजना के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय - समय पर उनके योजना भारत को झुग्गी - झोपड़ी से मुक्त करने के लिए चलाये गए जैसे - राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना और सबके लिए २०२२ तक आवास आदि|

निष्कर्ष - झुग्गी - झोपड़ी में रहने वाले अधिकांश परिवार अपने मुलभूत आवश्यकता के लिए भी संघर्ष करते रहते है ऐसी स्थिति में यह राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रीय भूमिका अदा नहीं कर पाते है | इस कारण सरकार समय - समय पर तमाम योजनाओं के माध्यम से भारत को मलिन बस्तियों से मुक्त करने का प्रयास करते रहे है | सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद भारत को स्लम से मुक्त करने की दिशा में अभी तक कोई भी उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित नहीं हुआ है | इसके पीछे कई कारण हो सकते है इन कारणों पर हमें विचार करना होगा | यह बस्तियां कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है | इन स्थानों पर रहने वाले परिवार छोटे - छोटे कम करने वाले दिहाड़ी मजदूर होते है जो गावों से अपनी आजीविका के तलाश में शहर में आते है और इस बस्तियों में रहते है | इन बस्तियों को कम करने के लिए यह आवश्यक है की इन्हे आजीविका के साधन इनके मूल निवास के आस- पास ही उपलब्ध कराया जाये ताकि इन्हें शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े | कुछ विशेष परिस्थिति में लोग शहर में आकर रहते भी है तो सरकार को इनके निवास की बेहतर प्रबंध करना चाहिए ताकि ये लोग झुग्गी झोपड़ी का निर्माण ना कर सके | बिगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा तमाम योजनाओ के द्वारा इन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा परन्तु इन तमाम योजनों के परस्पर समन्वयन का आभाव होने के कारण बेहतर परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा है | विकास कार्य में लगे हुए तमाम अभिकरणों के बीच परस्पर समन्वय से बेहतर परिणाम की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है |

सन्दर्भ सूची –

1. The Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971: As Amended upto the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) (Amendment) Act, 2017 (Mah. Act No. 38 of 2018), dated 26-04-2018. (2020). (n.p.): Current Publications.
2. Ganguly, Neela, SLUMS OF INDIA. (2019). United States: MJP Publisher.
3. Mohanty, L. N. P., Mohanty, S. (2005). Slum in India. India: A.P.H. Publishing.
4. United Nations Human Settlements Programme. (2012). The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003. (n.p.): Taylor & Francis.
5. Saglio-Yatzimirsky, M. (2013). Megacity Slums: Social Exclusion, Space and Urban Policies in Brazil and India. Singapore: Imperial College Press.
6. Wiebe, P. D. (1975). Social Life in an Indian Slum. India: Vikas Publishing House.
7. कटारिया, प्रो. एस. के (2018). भारत में झुग्गी-झोपडियों की स्थिति: समस्याएं और नीतियां. रोज़गार समाचार.12-18